

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या—363 / 2019

के साथ

आई0ए0 संख्या—363 / 2019

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड परांची

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. सरो देवी
2. अजीत कुमार साहु
3. परमेश्वर साहू
4. गायत्री कुमारी

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ) एस0एन0 पाठक

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

याचिकाकर्ता के लिए : कोई नहीं

05 / 22.10.2021 दिनांक 18.09.2020 के आदेश के अनुसरण में, इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि 'बार-बार पुकार करने के बावजूद, याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ है। हालांकि, एक और मौका देने के लिए, इस मामले को चार सप्ताह के बाद रखा।'

आज भी जब इस मामले की पुकार की गयी, तो बार-बार पुकार करने के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ।

यह सिविल विविध याचिका तदनुसार गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दी जाती है। नतीजतन, पूर्वोक्त अन्तवर्ती वार्ताकार आवेदन भी खारिज हो जाता है।

[(डॉ) एस०एन० पाठक, न्याया०]